संख्या 3894/15-7-05-16(69)2005

प्रेषक,

शिव प्रकाश गुप्त
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

शिक्षा(7) अनुभाग लखनऊः दिनांक 18 जुलाई, 2005

विषयः- रामश्री पब्लिक स्कूल उरई, जालौन को सी0वी0एस0ई नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त बिषय की और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0वी0एस0ई नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं हैः-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद /कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
(5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओंके कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनगान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

-----2---

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगीं और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के विना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नही किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिवन्धो का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधो का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(शिव प्रकाश गुप्त)
संयुक्त सचिव।

<u>प0सं0-3094/15-7-2005 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, झाँसी ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ ।
5- प्रबंधक, रामश्री पब्लिक स्कूल उरई, जालौन ।
6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(शिव प्रकाश गुप्त)
संयुक्त सचिव।